



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक:एफ1(1537)आ.उ./पीएडी अनु./से.नि./2017

दिनांक 04.10.2017

::आदेशः

उद्योग विभाग में मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारियों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या-6 में अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवानिवृत्ति दिनांक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्ति आदेश जारी करेंगे।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मदनलाल रेवाडिया	अतिरिक्तप्रशासनिक अधिकारी	मुख्यालय	10.02.1958	28.02.2018
2.	श्री सुरेशकुमार रक्षक	अतिरिक्तप्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के., बीकानेर	18.03.1958	31.03.2018
3.	श्री जयकिशन मीणा	अतिरिक्तप्रशासनिक अधिकारी	मुख्यालय	16.05.1958	31.05.2018
4.	श्रीमती अनिता शर्मा	अतिरिक्तप्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के., जयपुर(श.)	28.06.1958	30.06.2018
5.	श्री हेमराज मीणा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के., बारां	07.09.1958	30.09.2018

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.15 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त कार्मिकों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना आवश्यक होगा।

आयुक्त, उद्योग एवं
शासन सचिव, सी.एस.आर.




राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

कमांक:एफ1(1537)आ.उ./पीएडी अनु./से.नि./2017

दिनांक 04.10.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, उद्योग मुख्यालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर/कोटा।
4. संयुक्त निदेशक, संस्थापन/सतर्कता/कम्प्यूटर, मुख्यालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर)/बीकानेर/बारां को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में वर्णित कार्मिक का नाम, जन्मतिथि व सेवानिवृत्ति की तिथि की जांच संबंधित कार्मिक के सेवाभिलेख से कर लेवे यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा किसी कार्मिक का नाम उक्त आदेश में अंकित होने से रह गया हो तो सूचना इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से सूचित करें ताकि वांछित संशोधन जारी किया जा सके।
7. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. उप निदेशक, आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)